

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

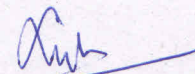
ग्राम	कोड	जनसंख्या
तैला	00228400	978

वर्ष 2011 के अनुसार
परिवार/जनसंख्या
256/1228

कुल - 978

256/1228


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशारी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
ग्राम्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनगणना वर्ष - 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत / राजस्व ग्राम - तैला की परिवार संख्या - 256 (दो सौ छप्पन) एवं जनसंख्या - 1228, (एक हजार दो सौ अक्षरशः) है।



Minu
 जखोली
 26/7/14

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 0.7425 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 1.4850 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार ग्राम्य विकास विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशारी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
ग्रामीण विकास विभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



अधिशारी अभियन्ता
प्रदेशीय अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जखोली ग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री
घाटमार्ग जैली-गरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव
निर्माण हेतु लाक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण
प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.7425 हे० वन भूमि का वर्तमान बाजार दर
से मूल्य रुपये 8.00 लाख प्रति हे० है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु० 594 लाख होता है
तथा वार्षिक लीज रेंट प्रतिशत की दर से रु० होता है।

राजस्व उपनिरीक्षक सहस्रीलदार
जखोली

उपजिलाधिकारी
जखोली
उप जिलाधिकारी
जखोली

राजस्व
जिला अधिकारी
जखोली

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की दय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई खंडोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी ग्राम्य विकास विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
ग्रामीण विकास विभाग
रुद्रप्रयाग

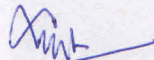
परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

एन०पी०वी० की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण-पत्र

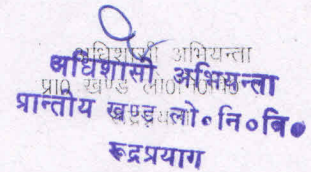
प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग



अधिशोषी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
ग्रन्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-गरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

मक का प्रमाण पत्र

परियोजना से उत्पादित मलवों के निस्तारण की समानचित्र योजना



मोटर मार्ग निर्माण से निकलने वाले मलवों का उपयोग मार्ग के समतलीकरण एवं भरान में किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधीनस्थ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

सक निस्तारण का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से निकलने वाले मलवे का उपयोग दीवार निर्माण व समतलीकरण में किया जायेगा।

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०-

मक डिस्पोजल प्लानिंग

Sr. No.	Material recived from hill side cutting $\frac{1}{2} \times 3000 \times 3 \times 3$	13500	cum
	Material received from hill side cutting including 40% of swell factor	5400	cum
	Total	18900	Cum
	Disposal and Use of Material		
1	R.R. Stone Masonary laid in 1:5	4000.00	cum
2	R.R. Stone Masonary laid dry	4000.00	cum
3	Hand packed Stone filling	3200.00	cum
4	Construction of Wire crate	2000.00	cum
5	Construction of Parapet	150.00	cum
6	Granular sub base /base/surface	3000.00	cum
7	Construction of Scupper	1200.00	cum
8	Construction of Road side Drain	200.00	cum
9	Super elevation & Patri filling	1000.00	cum
10	Concrete work	150.00	cum
11	Total	18900.00	cum
12	Material Disposal by Cartage	—	cum

Summary of Dabries Disposal

Sr. No.	Total Dabries	Material disposal by Cartage	Reused material for road construction	Total disposal in Dumping Zone
1	18900	—	18900	13500

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

मक डिस्पोजल प्लान

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगाव-तैला मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगाव-तैला मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी० से उत्पन्न मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों में किया जायेगा। जिससे वन सम्पदा तथा पर्यावरण की क्षति न्यूनतम हो उत्पादित मलवे को निम्न लिखित स्थानों में डिस्पोजल किया जायेगा। इन स्थानों को 1:50000.00 पैमाने के मानचित्र में हरे रंग से दर्शाया गया है। मानचित्र संलग्न है।

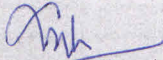
किमी० नं० जिनका मक डिस्पोजल होना है।	डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित स्थल (किमी०)	लम्बाई - चौड़ाई (मी)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1 किमी० 1	X.S. 0/ 10 - 0/ 16	150.00 x 5.00	750.00
2 किमी० 2	X.S. 0/ 18 - 0/ 24	100.00 x 5.00	500.00
3 किमी० 3	X.S. 0/ 18 - 0/ 26	150.00 x 5.00	750.00
4			
5			
6			
7			
		Total	2000.00
		Or	0.2000
		Say	0.2000

Hac

Hac

अमीन
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अभिशासी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या अरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मॉगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं हाँगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथाराम्य प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नहरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्यटन क्षेत्र मोड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ०प्र० वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है। इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका राशुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड-शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।


करिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिसूची अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमिवर्षों की लीज पर ली जा रही है।

-----लागू नहीं है।-----

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशारी अभियन्ता
प्र. अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-भरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना जल विद्युत परियोजना नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


अधिसूची अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
जखोली
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

रसोई गैस/कैरोसिन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों को रसोई गैस/कैरोसिन की आपूर्ति की जायेगी।

अधिसूची अभियन्ता
अधिसूची अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग
नि० वि०

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनाएं

मार्ग/सेतु की लम्बाई	—	3.00 किमी०
मार्ग में पड़ने वाले ग्राम	—	आबादी
तैला	—	978

कुल — 978

मार्ग/सेतु के प्रारम्भिक बिन्दु के अक्षांश :- 30°22' 8.63" उ०

देशान्तर :- 78°57' 44.16" पू०


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

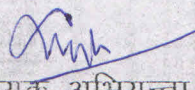

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


अतिरिक्त अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

भू-संरक्षण का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के नव निर्माण के दौरान भू-वैज्ञानिक द्वारा बताये गये भू-संरक्षण के उपायों का अनुपालन किया जायेगा।

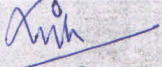

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

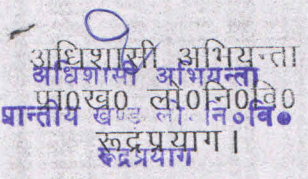

अधिशपसी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के नव निर्माण में पड़ने वाले आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का पातन ही किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।

विस्फोटकों के उपयोग का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-गरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सड़क निर्माण के लिए विस्फोटकों का उपयोग किया जायेगा।

विस्फोटकों के उपयोग का स्थान—

किमी० 1	—	हेमी० 4—6
	—	हेमी० 8—10
किमी० 2	—	हेमी० 2—6
	—	हेमी० 6—8
किमी० 3	—	हेमी० 0—2
	—	हेमी० 8—10



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



सहस्रक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।



अधिकांश आ. न्त।
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

मुख्यमंत्री घोषणा 2010 के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जैली-मरगांव-तैला मोटर मार्ग के नव निर्माण का तुलनात्मक विवरण

SNo.	Item	Alignment No. 1	Alignment No. 2
1	2	3	4
1	Main features & discription of the alignment	This alignment shown Red ink in the map. This alignment will start from the end point of Pre alignment Sanctioned Km 4 of Jaiji-Margaon-Tail motor road.	This alignment shown Green ink in the map. This alignment will start from the end point of Pre alignment Sanctioned Km 4 of Jaiji-Margaon-Tail motor road.
2	Length of the alignment from starting point to terminal point.	3.00 Km	3.50 Km
3	Geometries		
	Gradient in different Stretches	0/0-0/8 1: 24 down, 0/8-0/30 1:30 rise, 0/30-1/30 1:24 down, 1/30-1/36 1:22 down, 1/36-1/40 level, 1/40-2/2 1:22 rise, 2/2-2/6 Level, 2/6-2/8 1:22 rise, 2/8 - 2/12 Level, 2/12-2/40 1:22 rise.	Generally 1:18 rise, 1:22 down & Level
4	Curves and Hair pin band	3 Nos	5 Nos
5	Terrain & Soil condition		
a	Geology of road	Passing through H.S. in major statches and some statches in V H S.	Passing through H.S. in major statches and some statches in V H S.
b	Road Passing through		
i	Mountainous terrain X-slope 25 to 60	Length of road passing through road slope 25 to 60	Length of road passing through road slope 25 to 60
ii	Steep terrain in x-slope more then 60	Remaing 3*4 length of road passingh x slope more than 60	Remaing 3*4 length of road passingh x slope more than 60
iii	Rocky stretches with indication of length loose earthing stretches	Nil	Nil
iv	Area subject to avalanches & show drifts	Nil	Nil
v	Nature of Soil		
a	Length of reaches with earth & boulders	1.05 Km	1.00 Km
b	Length of reaches with M.R. & M.S.		
c	Length of reaches with O.R. & O.S.	1.80 Km	1.50 Km
d	Length of reaches with V.H.R. & V.H.S.	0.15 Km	0.50 Km
vi	Length of road passing through cliffs & georges	Nil	Nil
6	Bridge requirement	Nil	Nil
a	Minor Bridge		
i	Total No.	Nil	Nil
ii	Rate of span	Nil	Nil
iii	Total waterways	Nil	Nil
b	Major Bridges		
i	Total No.	Nil	Nil
ii	Rate of span	Nil	Nil
iii	Total waterways	Nil	Nil
7	General elevation of raod		

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

i	Indicating max. & Min Height negotiated by main ascends & descends	Maximum 800 Minmum 500	Maximum 800 Minmum 500
ii	Total ascends & descends		
8	Right of ways	4 ascend, 3 descend & 3 Level	5 ascend, 3 descends & 2 Level
a	Approximate of area & values		
i	Cultivated land		
ii	Other departmental land (Horticulture)	Nil	Nil
iii	Unirrigated land	Nil	Nil
iv	civil forest (Van Panchayat)	1.9575 H	1.00 H
v	reserve forest	0.7425 H	0.7425 H
9 (a)	Existing mean of item communication mules path jeep etc.	Nil	0.9575 H
b	Relation of proposed alignment with	Footpath	Footpath
10 (a)	Availability of road constuction materials	This road will connect Taila & Waad Village Stone are available but sand will be cart form Srinagar	This road will connect Taila & Waad Village Stone are available but sand will be cart form Srinagar
b	Location of quarries	For Stones locally available, for sand from Srinagar	For Stones locally available, for sand from Srinagar
c	Average lead	3 Km by mule, 1 to 3 chain head load and sand by Srinagar	3 Km by mule, 1 to 3 chain head load and sand by Srinagar
11	Facilities resources		
a	Landing grodd		
b	Dropping zone	Nil	Nil
c	Labour	Nil	Nil
d	Food stuffs	Locally available	Locally available
e	Construction material like timber, bamboo & stones shingle in extent of their availability and Load in	Rices, Pulses in very small quantities Local timber like Chir wood, sand and stone are available locally and other material are available at Rishikesh.	Rices, Pulses in very small quantities Local timber like Chir wood, sand and stone are available locally and other material are available at Rishikesh.
12	Climatic Condition		
a	Temperature Max. & Min	Max. 34 and Min. 15	Max. 34 and Min. 15
b	Rainfall datas average annual peak enter stics monthly distribution in the extent available of road covered by snow. (average period)	Rainfall datas are not available, road not covered by snow.	Rainfall datas are not available, road not covered by snow.
c	Wind direction	East to west in rainy season and west to east in summer season	East to west in rainy season and west to east in summer season
d	Fog conditions	Fog remains during rainy and winter season	Fog remains during rainy and winter season
e	Expose to Sun	Full alignment is exposed to Sun	Full alignment is exposed to Sun
13	Drainage characteristics of the indicating us to damage.	Being mountainous terrian drainage charcteristic are good and abnormal damages are not anticipated.	Being mountainous terrian drainage charcteristic are good and abnormal damages are not anticipated.
14	Length of the land slide.	Nil	Nil
15	Length of the unstable area.	Nil	Nil
16	Length of heavy aleating	Nil	Nil

JE

AB

17	Length of the Marshy effected area.			
18	Length of the portion loose rocks		Nil	Nil
19	Period required for construction		Nil	Nil
20	Vegetation extent and type.		Two Year	Two Year
21	Critical as specified		Wheat, Potato, Rice, Rajma, Pulse etc.	Wheat, Potato, Rice, Rajma, Pulse etc.
i	Village on or within 2 Km of the alignment.			
ii	1 Km to 1.5 Km of the alignment		Taila & Waad Village	Taila & Waad Village
22	Startegie conditions		Nil	Nil
23	Population served by the alignment		Nil	Nil
24	Recreational potetial		About 1000 approx.	About 1000 approx.
25	Scope of agriculture & Horticulture development		Nil	Nil
26	Extent of forest wealth		Fruit belt can be developed	Fruit belt can be developed
27	Prospects of development of minor or major project being taken up		Nil	Nil
28	Approximate cost of construction of each alignment		Nil	Nil
29	Merits & Demerits		Rs. 138.00 Lacs (For 1st Phase 37.80 Lacs)	Rs. 161.00 Lacs (For 1st Phase 37.80 Lacs)
			1. Cost of construction is minimum. 2. One No bridge required in this alignment. 3. Loose rocky portion is less in this alignment.	1. Cost of construction is Maximum. 2. Nos bridge required in this alignment. 3. Loose rocky portion is More in this alignment.
			4. Taila & Waad village will be connected in this alignment. 5. Road will be passing E.B., & H.S. in entire length	4. Taila & Waad village will be connected in this alignment. 5. Road will be passing E.B., & H.S. in entire length
			6. No Civil forest land exist in this alignment. 7. 3 Nos of Hair Pin bend.	6. Civil forest land more exist in this alignment. 7. 5 Nos of Hair Pin bend.
30	Any other usefull information, any important project etc.		Maximum public is satisfied in this alignment.	Minimum public is satisfied in this alignment.
31	Recommendation of E.E. with reason.		Keeping all the point in new and considering the merits and demerits of the different alignment alignment no. 1 which is shown in Red ink in the map is most suitable and serving more population easy to construction. Hence the alignment no. 1 is recommending for approval.	Nil

अधीक्षक अभियन्ता
अस्थाई वृत्त लो० नि० वि०
गुप्तकाशी (रुद्रप्रयाग)

म. १२/११/१५

अधीक्षक अभियन्ता

अस्थाई वृत्त लो० नि० वि०

गुप्तकाशी (रुद्रप्रयाग)

सं-१ ठानुकोटन हेतु अधिगत

अधीक्षक अभियन्ता

गुप्तकाशी (रुद्रप्रयाग)